

SCM
2020/00050
08/02/2021

जज अदालत तहसीलदार / नायब तहसीलदार सिणधरी तहसील सिणधरी

राजस्थान सरकार जरिये पटवारी वनाम श्री...
हलका... पुत्र श्री... जाति...
निवासी...

किस्म मुकदमा धारा 91 राज. भू राजस्व अधिनियम 1956 मु.नं.प.7. वर्ष 2020

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाहीमय इनिशियलस जज | हुक्म और तारीख तामिल की |
|-------------|--|--|
| 23-12-2020 | <p>पटवारी हलका... ने रिपोर्ट पेश कर सूचित किया कि उक्त अप्रार्थी ने संवत्... में मौजा... के खसरा नंबर... रकबा... किस्म भूमि... पर नाजायज अतिक्रमण कर काश्त व कब्जा किया है, अतः राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत मामला दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायल को जरिये नोटिस तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक... को बमुकाम सिणधरी में पेश हों।</p> <p style="text-align: right;">तहसीलदार सिणधरी जिला-बाड़मेर</p> | |
| 11-01-2021 | <p>पत्रावली पेश हुई और साफल्य प्राप्त। पीपलिन अधिकारी राजकीय कार्य हेतु जोधपुर पधारें है। पत्रावली दिनांक 18-1-21 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">11-01-2021</p> | <p style="text-align: center;">21/2/21</p> |
| 18-01-2021 | <p>पत्रावली पेश हुई। और साफल्य प्राप्त। और साफल्य ने जवाब हेतु साफल्य चाहा जो दिनांक 27-01-2021 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">तहसीलदार सिणधरी जिला-बाड़मेर</p> | <p style="text-align: center;">21/2/21</p> |

24-01-2021

पत्रावली पेश हुई। गैर सामल की तरफ से उक्त वमील के उपरान्त होकर जवाब हेतु समय चाहा जो दिया जाकर पत्रावली दिनांक-10-2-2021 को पेश है।

तहसीलदार सिणधरी
जिला-बाड़मेर

10-2-2021

पत्रावली पेश हुई। पीठासीन अधिकारी भाऊ सिवाना उमुदी पर पद्यारे से पत्रावली दिनांक 17-2-2021 को पेश है।

10-2-2021

17-2-2021

पत्रावली पेश हुई। गैर सामल अनुपस्थित। गैर सामल को जवाब हेतु प्रतिम प्रवर्तक दिनांक 22-2-2021 को पेश है।

तहसीलदार सिणधरी
जिला-बाड़मेर

22-02-2021

पत्रावली पेश हुई। गैर सामल अनुपस्थित। गैर सामल को जवाब हेतु धार-2 अवसर दिये जाने के उपरान्त भी कोई विधि सम्मत साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया। गैर सामल को आलिखी मानते हुए पत्रावली कैसल कुमार है। निर्णय अलग से लिखा जाकर शामिल पत्रावली है। पत्रावली कैसल कुमार होकर दाखिल इफ्तार है।

तहसीलदार सिणधरी
जिला-बाड़मेर